टेलीफोन लाइनों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाना

875. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन लाइनों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से वार्षिक लाइसेंस शुल्क वसूल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. मुंबई तथा दिल्ली ने 1992–93 और 1993–94 के दौरान इस संबंध में अनुमानतः कितना लाइसेंस शुल्क अदा किया था ; और

(घ) सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लि. मुंबई तथा दिल्ली के विकास कोष में वृद्धि करने के लिए क्या व्यापक कदम उठाए हैं अथवा वह क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां ।

(ख) 1.4.93 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1993–94 के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से प्रति कार्यरत सीधी एक्सचेंज लाइन, के लिए 800 रू० लाईसेंस शुल्क लिया जाएगा

(ग) वर्ष 1992–93 के दौरान, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टोकन लाइसेंस शुल्क के रूप में 101/– रु. का भुगतान किया गया है। वर्ष 1993–94 के दौरान, 127 करोड़ रुपया संदेय है।

(घ) स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रूप में, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने आंतरिक संसाधन स्वयं उत्पन्न करता है जिसका उपयोग बंध-पत्र की अनुमोदित रकम आदि सहित विकास योजना के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। महानगर टेलीफोन निगम लि., योजना वित्त-पोषण के लिए अपने संसाधनों की अभिवृद्धि करने में भी सक्षम है बशर्ते कि भारत सरकार से यथापेक्षित सामान्य अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।

मध्य प्रदेश में डाक और तार घर

876. **श्री दिलीपि सिंह जूदेव :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में डाक और तार घर खोलने के लिए जिलावार क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) **डाकघर:** मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान जिलावार लक्ष्यों तथा खोले गए डाकघरों की वास्तविक संख्या विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)**

तारघर : तार संबंधी सेवायें मांग तथा परियात संबंधी औचित्य होने पर प्रदान की जाती हैं। तदनुसार, सातवीं और आठवीं योजनावधियों के दौरान